023 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उभय पक्ष उपस्थित। दौराने बहस वकील अप्रार्थी सं. 1 ता 3 ने अपने आपत्ति प्रार्थना पत्र के कथनों का दौरान करते हुये कथन किया कि गिरदावर हल्का द्वारा मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है वह एक पक्षिय तैयार की गई है जो मौके विपरीत है। प्रार्थीगण की भूमि में आने जाने के 3– 4 अलग से रास्ते है जिनकी मेरे द्वारा फोटोग्राफ पेश किये गये है। ख.न. 399 व 400 के पश्चिम तरफ प्रशासन गांवो के संग अभियान में नये रास्ते का निर्माण उत्तर से दक्षिण किया गया है जो मौके पर चालू है जिससे कम दुरी का का रास्ता सुगमतापूर्ण बनाया जा सकता है। हमारी खातेदारी भूमि में गलत रूप से रास्ते की मांग की गई है। जबाब में भी अन्य रास्ते होना स्वीकार किया है। अतः आपत्ति प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावें एवं तहसीलदार जी से दुबारा रिपोर्ट मंगवाई जावें।

दौराने बहस वकील प्रार्थी ने जबाब आपत्ति प्रार्थना पत्र के कथनों का दौहरान करते हुये कथन किया कि प्रार्थीगण जिस मौसमी रास्ते से आते जाते है वह रास्ता ना तो रिकार्ड में कटा हुआ है ना ही स्थाई है एवं जाने में दुरी भी अधिक पड़ती है। काश्त के समय उक्त रास्ते को भी बन्द कर दिया जाता है। मौके पर जो काश्तकार है उनके नाम पर खातेदारी भी नही है। बटाई पर अन्य काश्त करते है। गिरदावर हल्का द्वारा जो मौका रिपोर्ट पेश की गई है वह सही है। रिपोर्ट में जो रास्ता बताया गया है वही सबसे नजदीक रास्ता है और कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। फोटोग्राफ जो पेश किये है रिकार्ड से मेल नही खाते है किस खसरा नम्बर के है व कहां के है स्पष्ट नही है। प्रस्तावित रास्ता सींव के सहारे सहारे है। रास्ते की भूमि का प्रतिफल भी हम अदा कर रहे है। प्रार्थना पत्र के केवल प्रार्थीगण को हैरानपरेशान करने एवं प्रकरण में विलम्ब करने की गर्ज से पेश किया

राजवीर सिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी

है। अतः प्रार्थना पत्र आपत्ति खारीज किया जावें एवं प्रार्थना पत्र धारा 251 (क) स्वीकार किया जावें।

बहस विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षों पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड, दस्तावेज, रिपोर्ट भू.अ.नि. का अवलोकन किया गया तथा अधिवक्ता उभय पक्षों द्वारा दिये गये तर्क वितर्क पर गौर किया गया। प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सम्वंत 2075 से 2078 ग्राम बासड़ी खुर्द के अवलोकन से पाया गया कि प्रार्थीगण 1 ता 4 प्रत्येक उक्त भूमि के 29/360 हिस्से के खातेदार है शेष हिस्सा अन्य खातेदारान के नाम दर्ज रिकार्ड है। तथा ख0न0 388 रकबा 1.00 हैक्ट. की खातेदारी अप्रार्थी सं. 1 ता 3 के नाम दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थीगण द्वारा मूल शीट से तैयार किया गया नक्शा ट्रेस एवं भू.अ. निरीक्षण द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट व प्रस्तावित नक्शा के अवलोकन से जाहिर है कि प्रस्तावित रास्ता अति आवश्यक है। न्युनतम दुरी का है। उक्त रास्ते के अलावा कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है। प्रस्तावित रास्ता ख0न0 387 गै.मु. रास्ते से ख0न0 388 की उत्तरी सीमा से होता 110 मीटर लम्बाई व 4 मीटर चौड़ाई का प्रार्थीगण की भूमि ख.न. 393, 394, 395 को जोड़ता है। इसके अतिरिक्त मौके पर अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता न्युनतम दुरी हो ऐसा साबित नही है। जहां तक अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत किये गये फोटोग्राफ का प्रश्न है। फोटोग्राफ से यह कही भी साबित नही होता कि यह फोटोग्राफ किस ख0न0 के है व कहां के है राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) को प्रभावी करते हुये बनाये गये नियमों में मौका रिपोर्ट बनाने हेतु भू0अ0 निरीक्षक अधिकृत व सक्षम है। रिपोर्ट भू.अ.नि. से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ते के अलावा अन्य कोई सुविधा जनक रास्ते का विकल्प नही है। रिपोर्ट भू.अ.नि. में किसी प्रकार की कोई विधिक, तथ्यात्मक त्रुटि परिलक्षित नही होती है। अतः आपत्ति प्रार्थना पत्र किसी भी प्रकार से साबित नही होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी संशोधन अधिनियम मुताबिक प्रस्ताव भू0अ0निरीक्षक भुदौली स्वीकार किया जाता है। भू0अ0नि0 का प्रस्ताव एनेक्चर–1, नक्शा एनेक्चर–2 आदेश का भाग रहेगा। ग्राम बासड़ी खुर्द के खसरा नम्बर 388 में प्रस्तावित रास्ता नक्शा ट्रेस में लाल स्याही मे दर्शाये गये रास्ते की भूमि 440 वर्गमीटर की डी.एल.सी की दौगुना राशि अनुसार गणना कर, आवेदक से जमा कर अप्रार्थीगण सं. 1 ता 3 को भुगतान कर एनेक्सर–1 एवं एनेक्सर–2 अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल किया जावें। निर्णय की पालना में तहसीलदार नीमकाथाना को तहरीर जारी हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी, नीमकाथाना
राजवीर सिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी